न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 30/2023

अनवान :

भरतसिंह पुत्र चानणराम पौत्र नंदराम जाति मेघवाल निवासी बोझला तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1.चानणराम पुत्र नंदराम जाति मेघवाल निवासी बोझला तहसील भादरा।
2.सीताराम पुत्र चानणराम पौत्र नंदराम जाति मेघवाल निवासी बोझला तहसील भादरा।
3.पूजा पुत्री चानणराम पौत्री नंदराम जाति मेघवाल निवासी बोझला तहसील भादरा।
4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री जगदीश प्रसाद : **वादी**

वकील श्री सतवीर पूनियां : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 24.05.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बोझला के खाता सं0 104/104 के खसरा सं0 173 की 2.7570है0, ख0सं0 206 की 2.9690है0, ख0सं0 206/2 की 1.5470है0, ख0सं0 290 की 1.2270है0, ख0सं0 295 की 2.5420है0 की कुल 11.0420है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 चानणराम के नाम 36807/110420 हिस्सा वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 चानणराम को अपने पिता नंदराम से विरासतन प्राप्त हुई है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनु

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में भरतसिंह पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी बोझला तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम बोझला संवत 2073–76 खाता संख्या 104/104 प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी रोही मौजा बोझला सम्वत 2029–38 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बोझला प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा

Scanned with CamScanner

है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम बोझला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में चानणराम के दो पुत्र भरत सिंह व सीताराम तथा एक पुत्री पूजा के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा बोझला के खाता सं0 104/104 के खसरा सं0 173 की 2.7570है0, ख0सं0 206 की 2.9690है0, ख0सं0 206/2 की 1.5470है0, ख0सं0 290 की 1.2270है0, ख0सं0 295 की 2.5420है0 की कुल 11.0420है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 चानणराम के नाम दर्ज 36807/110420 हिस्सा वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 चानणराम अकेले की बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बोझला के खाता सं0 104/104 के खसरा सं0 173 की 2.7570है0, ख0सं0 206 की 2.9690है0, ख0सं0 206/2 की 1.5470है0, ख0सं0 290 की 1.2270है0, ख0सं0 295 की 2.5420है0 की कुल 11.0420है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 चानणराम के नाम दर्ज 36807/110420 हिस्सा वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 चानणराम अकेले की बजाए वादी भरतसिंह व प्रतिवादी सं0 1 चानणराम तथा प्रतिवादी सं0 2 सीताराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner